

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र०-276/17

संस्थित दिनांक-03.07.17

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

छोटेराजा पुत्र भगवतसिंह गुर्जर उम्र 34 साल

निवासी ग्याराह थाना डीपार जिला दतिया म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 18.01.18 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.02.17 को 18:00 बजे प्रकाश जाटव के बोर के सामने गोहद मौ रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन एम०पी०-07 सीडी 6413 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर भादवि० की धारा 337 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 के आरोप में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 20.02.17 को फरियादी कोमेशसिंह कुशवाह अपनी साईकिल से चक्की पर पीसने के लिए अनाज डालकर वापस गांव गंगापुरा जा रहा था। जैसे ही सलमपुरा के आगे प्रकाश यादव के बोर के सामने पहुंचा तभी एक बोलेरो गाडी का चालक गोहद की तरफ से उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर लाया और सामने से टक्कर मारी जिससे आहत को चोटें कारित हुई। उक्त बोलेरो का चालक वाहन को मौ तरफ भगा ले गया, जिसका नंबर एम०पी०-07 सी०डी० 6413 था। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र० 41/17 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान, आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य न होने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1-क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.02.17 को 18:00 बजे प्रकाश जाटव के बोर के सामने गोहद मौ रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन एम0पी0-07 सीडी 6413 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में कोमेश कुशवाह अ0सा0 1 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी कोमेश अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि घटना साक्ष्य से एक साल पहले फरवरी माह के शाम 5-6 बजे की है। वे अपनी साईकिल से गेहूँ पिसाने डालकर अपने घर जा रहा था इतने में दुकान से चलते ही एक चार पहिया गाडी से उसकी टक्कर हो गयी जिसमें उसे चोटें आई। उसने वाहन चालक को देख लिया था किन्तु गाडी का नंबर न मालूम होने का कथन करते हैं। थाना मौ में घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 1 लिखाए जाने जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। प्रकरण में साक्षी द्वारा अभियुक्त के घटना के समय किस वाहन से दुर्घटना कारित हुई एवं उसे कौन व किस रीति से चला रहा था, इस संबंध में कोई भी स्पष्ट कथन करने में अस्मर्थ हैं। अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया कि बोलेरो गाडी नंबर एम0पी0-07 सी0डी0 6413 के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उनकी साईकिल में टक्कर मार दी। साक्षी द्वारा उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 1 के बी से बी एवं कथन प्र0पी0 3 के ए से ए भाग पर उक्त बुलेरो गाडी नंबर एम0पी0-07 सी0डी0 6413 के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टक्कर मार देने के तथ्य लिखाने से इंकार किया है। इस प्रकार से घटना के सर्वोत्तम साक्षी द्वारा घटना के समय उक्त वाहन बोलेरो के अपराध में संलिप्तता के तथ्य को संदिग्ध बना दिया है।

8. प्रकरण में आहत कोमेश अ0सा0 1 द्वारा सूचक प्रश्नों में पूछे जाने पर यह स्पष्ट किया कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त उक्त वाहन नहीं चला रहा था। मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि उन्होंने घटना के समय वाहन चालक को देख लिया था। इस प्रकार से वाहन के अतिरिक्त अभियुक्त के द्वारा वाहन चलाए जाने के संबंध में सर्वोत्तम साक्षी स्वयं फरियादी व आहत कोमेश के द्वारा इंकार किया जाना अभियोजन के मामले को संदिग्ध बना देता है। अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि फरियादी द्वारा राजीनामा कर लिया गया है इस कारण से अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 279 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु उपेक्षा अथवा उतावलेपन से वाहन के लोकमार्ग पर संचालन कर मानव जीवन संकटापन्न किए जाने के संबंध में तर्कपूर्ण व बोधगम्य साक्ष्य होना आवश्यक है, जिसका कि

प्रकरण में नितांत अभाव है। जहां तक पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 1 एवं पुलिस कथन प्र०पी० 3 का प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका उपयोग कथनकर्ता के पूर्वतन कथन के रूप में विरोधाभास अथवा लोप को रेखांकित किए जाने के लिए किया जा सकता है।

9. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 20.02.17 को 18:00 बजे प्रकाश जाटव के बोर के सामने गोहद मौ रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन एम०पी०-07 सीडी 6413 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

11. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

12. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश